State Council of Educational
Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

एस. सी. ई. आर. टी. रायपुर 3465

रायपुर दिनांक 01-07-17

बी.एड. / डी.एल.एड. संचालित करने वाले संस्थाओं के लिए निर्देश

आनलाइन आबंटन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सीट्स आबंटन के पश्चात् संबंधित संस्था में प्रवेश लेना है। इस हेतु अभ्यर्थी को सामान्यतः 7 दिवस का समय दिया जाता है। इस पूरे प्रक्रिया में इन संस्थाओं को निम्नलिखित कार्य सम्पादित करना है :–

1. अभ्यर्थियों का प्रवेश :–

1. महाविद्यालय सबसे पहले अपनी संस्था का कोड व पासवर्ड SCERT/MKCL से प्राप्त करें तथा Login के लिए MKCL के वेबसाइट पर इसी कालेज आई.डी. व पासवर्ड का प्रयोग करें।
2. महाविद्यालय के प्राचार्य, प्रवेश प्रभारी से संबंधित Address, E-mail, Phone Number, एवं अन्य विवरण अनिवार्यतः अद्यतन करें (College Profile Upload करें) जिससे एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा E-mail अथवा SMS के द्वारा महाविद्यालय में संपर्क किया जा सकें एवं समय–समय पर निर्देश महाविद्यालयों को दिया जा सके।
3. प्रवेश नियम का अध्ययन अवश्य कर लेवें।
4. चयनित अभ्यर्थियों के आवश्यक दस्तावेजों की अंतिम जांच कर ही संस्था, प्रवेश सुनिश्चित करेगी।
5. सबसे पहले आबंटन पत्र को देखें कि वास्तव में उक्त अभ्यर्थी का चयन आपके संस्था में हुआ है कि नहीं। **आबंटन पत्र की एक प्रति अपने महाविद्यालय में सुरक्षित रखें, जिसे परीक्षा या अन्य कार्यों हेतु उपयोग किया जावेगा, SCERT से आबंटन पत्र की द्वितीय प्रति जारी नहीं की जायेगी।**
6. आपके महाविद्यालय को आबंटित छात्रों के आबंटन पत्र आपके Login में भी उपलब्ध है जिसे प्रिंट कर उपयोग किया जा सकता है।
7. दस्तावेजों के सत्यापन के अन्तर्गत निम्नलिखित की जाँच करें –

डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु –

1. 10वीं / 12वीं की अंकसूची, जन्म प्रमाण–पत्र हेतु या समकक्ष अधिकृत प्राधिकारी / संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण–पत्र।
2. 12वीं की अंकसूची, न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हो। 12वीं में समूह (कला / विज्ञान / गणित / अन्य) की भी जाँच कर लेवें।
3. आरक्षित वर्ग व सवंर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र (यदि छूट का लाभ लिया हो तो)

4. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र।
डाइट व बी.टी.आई. के लिए उसी जिले का निवासी होना चाहिए। जिस जिले के डाइट/बी.टी. आई. में प्रवेश चाहता तथा उसी जिले से 12वीं पास किया है अथवा नहीं जांच करे।

बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु –

1. 10वीं/12वीं की अंकसूची या समकक्ष प्राधिकारी/संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण–पत्र।
2. छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र। (छत्तीसगढ़ के कोटे में चयनित अभ्यर्थी हेतु)।
3. छत्तीसगढ़ के बाहर के अभ्यर्थीयों के लिए पात्रता प्रमाणपत्र (बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु) उस विश्वविद्यालय का जारी किया हुआ, जिस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय में आबंटन हुआ है।
4. अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची (स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि की) एकीकृत प्राप्तांक की गणना हेतु स्नातक उपाधि प्राप्त है तो स्नातक के तीनों वर्षों की अंकसूची और यदि स्नातकोत्तर उपाधि के प्राप्तांक से पात्रता बन रही है तो स्नातकोत्तर के दोनों वर्षों की अंकसूची लाना अनिवार्य होगा।
5. पात्रता हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर में एकीकृत न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त होना चाहिए। इंजीनियरिंग वाले प्रकरण में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त हो।
6. छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी यदि छूट या आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे है तो प्राधिकारी संस्था से जारी वर्ग व संवर्ग का प्रमाण–पत्र।
7. अभ्यर्थी से स्थानांतरण प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
8. इसके उपरान्त यदि अभ्यर्थी के दस्तावेज सही पाये जाते हैं तो छ.ग. प्रवेश एवं शुल्क विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क लेकर प्रवेश सुनिश्चित करें।

2. अपडेट करना –

1. उपर अनुसार कार्यवाही करने के बाद भी प्रवेश अभी सुनिश्चित नहीं हुआ है जब तक कि आप अपने **login** में जाकर **"Admit Candidate"** प्रवेश विकल्प को क्लिक करने के बाद अलग–अलग अभ्यर्थी का रोल नंबर/फार्म नंबर प्रविष्ट कर **confirm** नही करते हैं। इस वर्ष आपको फीस बुक का क्रमांक एवं ली गई फीस की राशि भी प्रविष्ट करना है, इसका एक प्रिंट–आउट हस्ताक्षर करके अभ्यर्थी को देना है एवं एक प्रति में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर लेकर महाविद्यालय के अभिलेख में रखना है।
2. किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज त्रुटि पूर्ण है तो उसके चयन को निरस्त कर इसकी विधिवत सूचना अभ्यर्थी व एस.सी.ई.आर.टी. को देवें तथा अपने **login** में जाकर उसमे प्रवेश को **"Admit Candidate"** में अपात्र (disqulify) कर दें। इस प्रकार से अभ्यर्थी आगे की प्रक्रिया से बाहर हो जायेगें। आप प्रवेश को प्रत्येक दिवस अपडेट करें। आपके **login** में प्रत्येक अभ्यर्थी के सामने **By default not admitted** अंकित रहता है।
3. कोई अभ्यर्थी आपके महाविद्यालय नहीं पहुँचता है तो उससे दूरभाष पर सम्पर्क करें और यदि वह आपके महाविद्यालय में प्रवेश लेना नहीं चाहता है तो उसे **Not Admitted** कर दें।

4. कोई चयनित अभ्यर्थी, कोई रिपोर्ट भी न करें न ही आपके महाविद्यालय में प्रवेश ले तो उसे Not Admitted कर दें। इस प्रकार के अभ्यर्थी इस प्रक्रिया से बाहर हो जायेगे।
5. उपरोक्त समस्त प्रक्रियाएँ 7 दिवस खत्म होने के पहले अर्थात् प्रवेश हेतु अंतिम दिवस को 6.30 बजे शाम से पहले आवश्यक रूप से कर लें।
6. उपरोक्त प्रक्रिया समय में किया जाना आवश्यक है। यदि अंतिम दिवस (प्रवेश हेतु निर्धारित) के दिन इंटरनेट का नेटवर्क आपके महाविद्यालय में न हो तो जहां नेटवर्क हो वहाँ जाकर करें। विशेष परिस्थति में MKCL के अधिकारियों को सूचित करें।
7. प्रत्येक चरण में सूची में आपके login में प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के सामने By default " not admitted" रहता है। जिसके कारण यदि आप समय पर सूची को अपडेट नहीं करेगे तो आपके महाविद्यालय के प्रवेश ले चुके प्रशिक्षार्थी के सीटों के विरूद्ध भी अगले चरण में अभ्यर्थी आबंटित कर दिये जायगे।
8. उक्त स्थिति में आपके यहां प्रवेशित एवं आपके यहां नये आबंटित अभ्यर्थी का भविष्य खराब हो सकता है जिसके लिए केवल आपकी संस्था जिम्मेदार होगी और आपकी संस्था के विरूद्ध उक्त अभ्यर्थी व शासन कानूनी कार्यवाही कर सकती है।
9. यदि अपडेट करने में कोई परेशानी हो तो MKCL को प्रवेशित छात्रों की सूची ई–मेल से भेज दें परन्तु इससे पहले दूरभाष पर चर्चा जरूर करें। एस.सी.ई.आर.टी. में हाईपावर समिति के सदस्यों से भी दूरभाष पर चर्चा कर सकते हैं।

3. अन्य निर्देश :–

- आपको प्रवेश के संबंध में समस्त निर्देश स्पष्ट रूप से दिये जा रहे है जिसकी सहायता से आप अभ्यर्थियों को सही–सही परिस्थितियों से अवगत करा सकते हैं। अतः उच्च्च अधिकारियों से मार्गदर्शन ले रहे है यह बताकर अभ्यर्थियों को गुमराह न करें।
- राज्य के बाहर के छात्रों की अंकसूची से संबधित कोई समस्या हो तो एस.सी.ई.आर.टी. से सम्पर्क करें।
- डी.एल.एड. में निजी महाविद्यालयों में आरक्षण का नियम लागू नहीं होता अतः अभ्यर्थी के SC/ST/OBC वर्ग/संवर्ग संबधित दस्तावेजों का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु यदि अभ्यर्थी का स्नातक/स्नाकोत्तर में 50 प्रतिशत प्राप्तांक से कम है और वह छ.ग. का अभ्यर्थी है तो उपरोक्त दस्तावेजों की जांच करें क्योंकि उन्हें 5 प्रतिशत की छूट देकर चयन हेतु पात्र किया गया है।
- इसी प्रकार शासकीय संस्थाओं में प्री बी.एड./डी.एल.एड. की प्रावीण्यता के आधार पर चयन हो सकता है। किसी OBC अभ्यर्थी का चयन सामान्य वर्ग में हो गया हो तो उसके OBC का सत्यापन आवश्यक नहीं है। परन्तु यदि ऐसी स्थिति में यदि अभ्यर्थी का प्राप्तांक अर्हकारी परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम हो तो उसे छूट देकर पात्र किया गया होगा। इस स्थिति मे प्रमाण पत्र की जांच करें।

- प्रथम चरण में सामान्य वर्ग या संवर्ग का परस्पर या डी.एल.एड. में विषयवार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। अतः अभ्यर्थी के नाम के सामने दर्ज कि उसका चयन किस वर्ग, संवर्ग या विषय हेतु हुआ, उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश देवें अन्यथा उसका चयन निरस्त कर दें। और **disqualify** अंकित करें।
- परन्तु दूसरे व तीसरे चरण में सामान्यतः सीटों का परस्पर परिवर्तन कर दिया जाता है। अतः हो सकता है ST की सीट रिक्त रहने पर **SC** या **OBC** या सामान्य को दे दिया जाये इसी प्रकार विज्ञान समूह की सीट अन्य समूह से भरे जायें। निजी महाविद्यालयों में छ.ग. की सीट को **AIQ** से भरा जाये। इस स्थिति में यदि इस संबंध में जानकारी आबंटन पत्र में नहीं दिया गया तो एस.सी.ई.आर.टी. से पूछताछ कर लें।
- किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक एस.सी.ई.आर.टी. का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
- अभ्यर्थियों को सही जानकारी ही देवें।
- आबंटन कार्यक्रम का अध्ययन अवश्य कर लें।
- प्रवेश के समय अभ्यर्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लेवें। अभ्यर्थियों से अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायत तथा मेरिट अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर महाविद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों को आप एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट http://**scert.cg.gov.in** में अवश्य देखें।
- आबंटन प्रक्रिया के पहले अपनी संस्था का NCTE का मान्यता आदेश तथा बोर्ड/वि.वि. के सम्बद्धता आदेश की छायाप्रति अनिवार्यतः जमा करें।

Sunita

अध्यक्ष

बी.एड./डी.एल.एड. काउंसलिंग समिति
एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग रायपुर